791
18/12/12

खण्ड-11 संख्या-24

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(कार्यवाही भाग-2, प्रश्नोत्तररहित)

सत्यमेव जयते

वृहस्पतिवार

तिथि 5 अगस्त, 1993 ई०

स्वीकृति होगी, इस प्रक्रिया में तो थोड़ा समय लगेगा ही।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर झारखंड क्षेत्र के माननीय सदस्यगण सर्व श्री अर्जुन राम, मंगल राम, सुमृत मंडल, मो॰ हसन रिजवी, हाड़ि राम सरदार, टेकलाल महतो एवं एन॰ ई॰ होरो नाराबाजी करते हुये सदन के वेल में चले आये, जो शोरगुल के बीच सुनायी नहीं पड़ा)

(व्यवधान)

सदस्यों के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव

श्री उपेन्द्र प्र॰ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-63 की धारा-4 के तहत निम्नलिखित माननीय सदस्यों को सदन की शेष अवधि के लिये सदन से निष्कासित किया जाय : सर्वश्री अर्जुन राम, मंगल राम, सुमृत मंडल, मो॰ हसन रिजवी, हाँड़ि राम सरदार, टेकलाल महतो एवं एन॰ ई॰ होरो।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"सर्वश्री अर्जुन राम, मंगल राम, सुमृत मंडल, मो॰ हसन रिजबी, हांड़ि राम सरदार, टेकलाल महतो एवं एन॰ ई॰ होरो को सदन की शेष अवधि के लिये सदन से निष्कासित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर उपरोक्त सभी माननीय सदस्यों को मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकाला गया।)

रामाश्रय प्र॰ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार पंचायती राज विधेयक, 1993 138 क्लाऊज का है और आज ही हमलोगों को दिया गया है और आज ही ये पास कराना चाहते हैं, यह बिल्कुल असंवैधानिक है और संसदीय प्रणाली के विपरीत है और संविधान में जो 73 वां संशोधन हुआ है, उसकी मंशा के विपरीत है। इसीलिये हमलोग इसका विरोध करते हैं, राज्य के हित में नहीं है, यह संविधान के विरुद्ध है।

डा॰ शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है।

यह विधेयक 138 क्लाऊजं का है और आज ही हमलोगों को मिला है और आज 3 बजे दिन तक ही एमेंडमेंट का अटाईम दिया गया है और आज ही इसको पास कराना चाहते हैं, यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामाश्रय बाबू को स्वागत करना चाहिए कि हम पंचायती राज बिल ला रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अभी विचार होगा, इसमें आपके नेता भी रहेंगे, इसपर विचार होगा, निर्णय होंगे।

डा॰ शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, ये पंचायत के चुनाव को टालना चाह रहे हैं। एक दिन में यह बिल आया है और तीन बजे दिन तक संशोधन देने के लिए कहते हैं, क्या यह संभव है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसे कार्य मंत्रणा समिति में रखा जायेगा, उसपर विचार होगा। आपके नेता रहेंगे और सारे लोग रहेंगे।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अनुपलाल यादव ने सभापति का पद ग्रहण किया।)

सभापति : शान्ति-शान्ति! आपलोग आसन ग्रहण करें, शान्ति हो जायं, इसके बाद व्यवस्था की बात आयेगी। आपलोग आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

व्यवस्था में ही सारा समय चला जायेगा। सदन का समय इसलिए बढ़ाया गया है कि माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षण है, जो कोल एटेंसन हो, उसपर सरकार का जबाब हो जाय और इसके लिए समय बढ़ाया गया है। अगर आपलोग समय का सदुपयोग नहीं करेंगें तो आपका काम पैंडिग रह जायेगा। एक नहीं, अनेकों माननीय सदस्यों की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

शांति-शांति। अभी चल रहा है ध्यानाकर्षण सूचना सर्वश्री उपेन्द्र नाथ दास, महेन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य तीन सभासदों का और उसपर सरकार की

ओर से सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग का जवाव होगा।

श्री विनायक प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जो और्डर पेपर मिला है उसमें पंचायती राज बिल की कॉपी हमको नहीं मिली है।

सभापति : मिल जायेगा।

ध्यानाकर्षण सूचना एवं उसपर सरकारी वक्तव्य

(क) राहत कार्य का कार्यान्वनयन

अध्यक्ष : (ध्यानाकर्षण-सूचना पढ़ी जा चुकी है।)

श्री राम विलास सिंह : सभापति महोदय, गत मौनसुन की स्थिति पूरे राज्य में असंतोषजनक रही। फलस्वरूप राज्य के अधिकांश जिलों में फसल की क्षति पहुँची। पलामू, गढ़वा एव चतरा जिलों में वर्षा नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई। सुखाड़ की समस्या का सामना करने के लिये मंत्रिमंडलीय उप समिति के निर्णय के अनुसार फसल की क्षति के आधार पर राज्य के गंभीर रूप से प्रभावित जिला का वर्गीकरण किया गया। तदनुसार फसल की 75 प्रतिशत से ज्यादा क्षति होने के कारण पलामू, गढ़वा एवं चतरा जिलों के सभी प्रखंडों को श्रेणी "ए" में रखा गया। राज्य सरकार ने माना कि ये जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। अतः सुखाड़ कार्य की प्राथमिकता दी गई। नियोजन की समस्या एवं पेयजल की समस्या की ओर ध्यान दिया गया। जवाहर रोजगार योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई गई और साहाय्य कार्य चलाया गया। सहाय्य कार्य रोकने के संबंध में कोइ निर्देश नहीं दिया गया है। जहाँ तक चतरा जिलो में 31 मई, 93 से साहाय्य कार्य बन्द करने का प्रश्न है, संभवतः पूर्व के निर्देशों को दृष्टिगत रखा। जिला में मौनसून के पानी के बाद जिला प्रशासन द्वारा मिट्टी का कार्य स्थगित कर दिया गया है। पलामू, गढ़वा, चतरा जिलों में 30 सितम्बर, 93 तक लालकार्ड धारियों को मुफ्त सहाय्य वितरण हेतु अवधि विस्तार की गई है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक चतरा जिला में वर्षा नामनात्र की नहीं होने का प्रश्न है, इस जिले में मई, जून एवं जुलाइं में वर्षा की स्थिति निम्नांकित है।